

प्रपत्र-अ

पंचायत का नाम/वार्ड क्रमांक ..... घोषणा पत्र क्रमांक .....  
 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का लाभ प्राप्त करने  
 हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार होने का

**घोषणा-पत्र**

1. मैं----- पिता/पति श्री ----- निवासी  
 ग्राम/वार्ड ----- पंचायत/नगरीय निकाय ----- तहसील  
 -----जिला ----- का निवासी हूँ। मेरी जाति ----- एवं उपजाति  
 ----- है, जो मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति/जनजाति के अंतर्गत आती है। मेरे पास  
 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र नहीं है/सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र की  
 छायाप्रति संलग्न है।
2. मेरे परिवार किसी सदस्य को खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करने हेतु पात्रता पर्ची नहीं हुई है।  
 क्रमांक ..... दिनांक ..... है। (पंजीयन की छायाप्रति संलग्न)
3. मैं अथवा मेरे परिवार का कोई सदस्य शासकीय या अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है।
4. मैं अथवा मेरा परिवार आयकर दाता नहीं है।
5. समग्र परिवार आई.डी. क्रमांक :-
6. मोबाईल न. (यदि हो तो) :-
7. बैंक खाता नं. कोड नं. बैंक का नाम :-
8. मेरा एवं मेरे परिवार के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	परिवार के मुखिया/सदस्यों के नाम	उम्र	परिवार के मुखिया से संबंध	आधार नं. यदि हो तो
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

9. मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे एवं मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार के रूप में सत्यापित नहीं किया गया है और न ही मुझे खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करने हेतु पात्रता पर्ची प्राप्त हुई है। मेरे परिवार के उक्त सदस्यों के नाम किसी अन्य के परिवार के साथ संलग्न नहीं है। उक्त जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेंगी।
10. मैं अथवा मेरे परिवार के सदस्य श्री ----- के नाम से कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ----- जिला भिण्ड द्वारा जाति प्रमाण पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... को जारी किया गया है। (यदि जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं है हुआ हो तो इसे काट दें।)

घोषणा पत्र भरवाने वाले अधिकारी  
 का नाम, पद व हस्ताक्षर

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर